गोलीकांड पर जवाब दें गृहमंत्री : राहुल

नई दिल्ली, 10 अगस्त. कांग्रेस पार्टी ने सोमवार शाम को इंदिरा भवन एक विशेष प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली में जंतर-मंतर पर आंदोलनरत छात्रों के खिलाफ़ हुए लाठीचार्ज और आंसूगैस छोड़े जाने के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किए हैं.

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'हमारा कभी भी यह सवाल नहीं रहा कि अमित शाह संसद में आएं और कुछ आम मुद्दों पर बयान दें. सवाल शुरू से यही है कि अमित शाह को यह स्पष्ट करना है कि दिल्ली में हमारे युवाओं पर गोली चलाने की अनुमति किसने दी. राहुल गांधी ने कहा, 'वह गृह मंत्री हैं, पैलेट गन चलाए गए. स्टूडेंट को कांटे लगे डंडों से पीटा गया. सवाल यही था कि अमित शाह स्पष्ट करें कि उन्होंने इसका आदेश दिया था, या नहीं. उन्होंने कहा, 'अगर उन्होंने यह आदेश दिया था तो वे हमारे बच्चों पर गोली चलवाने के कसूरवार हैं और अगर वो नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है तो वो गृह मंत्री रहने के लायक नहीं हैं, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए. राहुल गांधी ने कहा, 'अब अमित शाह अचानक कह रहे हैं कि वो बोलने के लिए तैयार हैं. हमें उनकी मनगढ़ंत बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है. हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने बच्चों पर गोली चलाने की अनुमित दी थी या नहीं. उन्हें पहले यह स्पष्ट रूप से बताना होगा, उसके बाद कोई चर्चा होगी.'

विपक्ष तय नहीं करेगा कौन देगा जवाब : रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार दिल्ली में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं पर चर्चा के लिए तैयार है. किरेन रिजिजू ने सदन में इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से कहा, 'गृह मंत्री जी के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है. इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'मेरा कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के साथियों से अनुरोध है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है.

झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज गलत : राहुल

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. राहुल गांधी ने 10 अगस्त को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है और उनके खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है.

शरद के 8 सांसदों की पीएम मोदी से मुलाकात

विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 10 अगस्त.शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) के सांसदों ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात की. इस दौरान सुप्रिया सुले समेत एनसीपी एसपी के सभी 8 सांसद मौजूद रहे. तमाम सांसद अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री के पास गए थे. बाढ़ बारिश, फसलों की कीमत और विकास के मुद्दे पर बातचीत हुई.

प्रधानमंत्री ने तमाम सांसदों की बात सुनी भरोसा दिया कि जो भी समस्याएं हैं उनको देखा जाएगा और दूर किया जाएगा. पीएम मोदी से ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है. विपक्षी पार्टियां अमित शाह से लाठीचार्ज के मामले में जवाब मांग रही है और राम मंदि चंदा चोरी का मामला उठा रही है. विपक्षी खेमे में शामिल एनसीपी (एसपी) के नेताओं की पीएम मोदी से मुलाकात ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट को टेंशन में डाल दिया है. हालांकि आज ही जब विपक्षी दलों की बैठक हुई तो उसमें सुप्रिया सुले मौजूद रहीं. शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा किशरद पवार गुट के तमाम सांसद प्रधानमंत्री से मिल रहे है यह कोई नई बात नहीं है.

नीट पीजी की सिटी स्लिप आज होगी जारी, 30 को होगी परीक्षा

नई दिल्ली, 10 अगस्त. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-पीजी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर की जानकारी जल्द उपलब्ध होने वाली है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के शेड्यूल के अनुसार नीट पीजी परीक्षा की शहर सूचना पर्ची 11 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी.

उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे. इसमें उन्हें उस शहर की जानकारी मिलेगी, जहां उनका परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जाएगा. सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी.

उम्मीदवारों को परीक्षा शहर की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही नहीं मिलेगी. एनबीईएमएस की ओर से सिटी स्लिप डाउनलोड करने का लिंक ईमेल के जरिए भी भेजा जाएगा. उम्मीदवार ईमेल में प्राप्त लिंक पर क्लिक करके अपने लॉगिन विवरण दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद वे अपनी परीक्षा सिटी स्लिप देख और डाउनलोड कर सकेंगे. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पंजीकृत ईमेल खाते को भी नियमित रूप से चेक करते रहें.

पंजाब में बीकेआई मॉड्यूल का आतंकी गिरफ्तार

चंडीगढ़, 10 अगस्त। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर और एसबीएस नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में आईएसआई प्रायोजित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मॉड्यूल से जुड़े एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 86-पी हैंड ग्रेनेड बरामद किया है. इस बरामदगी से एक संभावित आतंकी हमले को टालने में सफलता मिली है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी ने विदेशी बैठे हैंडलरों के निर्देश पर जालंधर के आदमपुर के पास एक डीलर से कथित तौर पर हैंड ग्रेनेड हासिल किया था.

आईआरसीटीसी का महाकाल-ओंकारेश्वर दर्शन का मौका

4 रात और 5 दिन का स्पेशल टूर पैकेज लॉन्च

लखनऊ, 10 अगस्त. उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए पर्यटन और रेल सुविधा के मोर्चे पर राहत भरी खबर सामने आई है. एक तरफ भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी ने मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए विशेष हवाई यात्रा पैकेज तैयार किया है. वहीं दूसरी ओर रेलवे ने चित्रकूट से लखनऊ और प्रतापगढ़ के बीच सीधी रेल यात्रा को आसान बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है. आईआरसीटीसी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से तैयार किए गए मध्य प्रदेश विशेष हवाई यात्रा पैकेज की अवधि चार रात और पांच दिन रखी गई है.

हॉस्टल में जहरीले नाग ने 6 छात्राओं को डसा, 3 की मौत

मुंबई, 10 अगस्त. महाराष्ट्र के गड़चिरोली में दर्दनाक घटना घट गई. यहां आश्रम स्कूल के हॉस्टल में जहरीले सांप ने 6 छात्राओं को डस लिया. इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें से 3 छात्राओं की मौत हो गई है, वहीं बाकी घायल छात्राओं का इलाज किया जा रहा है. इस घटना के बाद से छात्राओं के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सांप के हमले का शिकार हुई सभी छात्राएं 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ती हैं. महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले में सांप के कहर की इस घटना से लोगों में दहशत पैदा हो गई है. यहां एक निजी अनुदानित आवासीय आश्रम स्कूल के हॉस्टल में उस वक्त हंगामा मच गया, जब रात में सो रही छह छात्राओं को एक-एक कर जहरीले सांप ने डस लिया. ये सभी छात्राएं एक ही कमरे में सो रही थीं, जहां पहुंचे सांप ने इन सभी पर बारी-बारी से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि यह घटना धनौरा तालुका के जपतलाई गांव में कुम्परलिंगो कल्चरल एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी द्वारा संचालित आवासीय स्कूल आश्रम के हॉस्टल में रात करीब 2:30 बजे हुई.

अमेरिका ने होर्मुज के पास उतारे 20 युद्धपोत

नई दिल्ली, 10 अगस्त. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब खाड़ी क्षेत्र की समुद्री गतिविधियों पर दिखाई देने लगा है. अमेरिका ने होर्मुज जलसंधि के आसपास अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते हुए 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर दिए हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, यह तैनाती क्षेत्र में चल रहे सैन्य अभियानों को समर्थन देने और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए की गई है. अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक यूएसएस रॉस पर तैनात नौसैनिक भी इस अभियान का हिस्सा हैं.

भरत तिवारी एनकाउंटर में एसपी से मांगी रिपोर्ट

आरा, 10 अगस्त। बिहार के भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी पुलिस मुठभेड़ मामले में सोमवार को आरा सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है. अदालत ने फिलहाल 11 आरोपियों के खिलाफ कोई गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया है. कोर्ट ने मामले की जांच से जुड़ी जानकारी के लिए भोजपुर के पुलिस अधीक्षक से अंतरिम रिपोर्ट मांगी है. साथ ही एसपी को 12 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. भरत तिवारी के पक्ष से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता की ओर से पहले आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने की बात कही गई थी.

विपक्षी दलों ने किया संसद भवन परिसर में प्रदर्शन

नयी दिल्ली, 10 अगस्त. छात्रों के साथ पुलिस कार्रवाई तथा चढ़ावा चोरी सहित कई मुद्दों पर विपक्षी दलों के सांसदों ने सोमवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए. विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विरोध जताया. तख्तियों पर गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर भी थी, जिन पर संसद में उनकी अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई थी.

SMFG Grihashakti
Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

मांग नोटिस

फाइनेंशियल एसेट्स के सिक्युरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन और सिक्युरिटी इंटरेस्ट के एनफोर्समेंट एक्ट, 2002 ("एक्ट") और सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 ("रूल्स") के प्रावधानों के तहत

SMFG इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे SMHFC कहा जाएगा) के अधिकृत अधिकारी के तौर पर, मैं इस एक्ट और एक्ट की धारा 13 (12) के तहत मिली शक्तियों (और नियम 3) का इस्तेमाल करते हुए, एक्ट की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी कर रहा हूँ। इन नोटिसों के जरिए नीचे दिए गए उधारकर्ताओं से कहा जा रहा है कि वे नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में बताई गई रकम चुका दें। मुझे उचित रूप से विश्वास है कि उधारकर्ता डिमांड नोटिस लेने से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस को चिपकाकर और प्रकाशित करके तामील (सर्व) किया जा रहा है। डिमांड नोटिस की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता संपत्ति धारकों का नाम, जैसा भी मामला हो	सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस का विवरण धारा 13 (2) और संपूर्ण ओ/एस के तहत।
1	लैन: 604207210259379 1. सलीम अहमद अंसारी 2. अरबाज 3. एनी ऑटो पार्ट्स और रिपेयरिंग सेंटर प्रोप.-सलीम अहमद अंसारी के माध्यम से पता : 92, मक्का नगर आनंद नगर, जाकिर होटल के पीछे, सुभाष वार्ड, अधारताल जबलपुर 482004	यह पूरी प्रॉपर्टी मकान नंबर 2968/1 A+B, मौजा बैटला, र नंबर 52, PC नंबर 22/25, नया खसरा नंबर 181/11, सुभाष वार्ड (पुराना/नया), शहीद अब्दुल हमीद वार्ड, कटरा, जबलपुर (म.प्र.) में स्थित है। इसका कुल एरिया 695.5 वर्ग फुट है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - पुरानी विक्रेता बिस्मिल्लाह बी; पश्चिम - निजामुद्दीन का घर; उत्तर - रास्ता; दक्षिण - नज्जो खान का घर।	20.07.2026 रू. 16,15,998.78 (सोलह लाख पंद्रह हजार नौ सौ अनठानवे और अठहत्तर पैसे मात्र) 14.07.2026 तक NPA की तारीख: 14.03.2026

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि **एसएमएचएफसी** एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ताओं द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो **एसएमएचएफसी** सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। **एसएमएचएफसी** को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, **एसएमएचएफसी** को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य **एसएमएचएफसी** को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत **एसएमएचएफसी** को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को **एसएमएचएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : जबलपुर, मध्य प्रदेश
दिनांक : 20.07.2026
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
(अनुसूची - 'ए' मिनी रत्न-श्रेणी- 1 सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम)
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003

विभिन्न संवर्गों में प्रबंधकों एवं कनिष्ठ कार्यपालकों की भर्ती
विज्ञापन संख्या 12/2026/सीएचक्यू/डीआर-सीबीटी

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भाविप्रा वेबसाइट www.aai.aero के माध्यम से **ऑनलाइन** आवेदन आमंत्रित करता है।
(किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा)

पद कोड	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या और आरक्षण						(रिक्तियों सहित) पीडब्ल्यूबीडी			
		कुल	यूआर	ईडब्ल्यूएस	ओबीसी (एनसीएल)	एससी	एसटी	(ए)	(बी)	(सी)	(डी) व (ई)
1	प्रबंधक (इंजीनियरिंग - सिविल)	145	62	14	38	21	10	-	03	02	03
2	प्रबंधक (इंजीनियरिंग - इलैक्ट्रिकल)	16	04	05	04	02	01	-	01	-	01
3	प्रबंधक (वित्त)	34	19	03	07	04	01	02	[01]	[01]	-
4	प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	05	05	-	-	-	-	01	-	-	01
5	प्रबंधक (वास्तु)	04	03	-	01	-	-	-	-	-	01
6	प्रबंधक (विधि)	02	02	-	-	-	-	-	-	-	-
7	प्रबंधक (अग्निशमन सेवाएँ)	14	08	01	03	01	01	-	-	-	-
8	प्रबंधक (प्रचालन)	28	13	02	07	04	02	01	-	-	-
9	प्रबंधक (वाणिज्यिक)	09	06	-	02	01	-	01	-	-	-
10	प्रबंधक (निगमित योजना एवं प्रबंधन सेवाएँ)	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-
11	प्रबंधक (निगमित संचार)	02	02	-	-	-	-	-	-	-	-
12	कनिष्ठ कार्यपालक (वित्त)	36	13	06	06	05	06	01	-	01	-
13	कनिष्ठ कार्यपालक (विधि)	06	05	-	-	01	-	-	-	-	-
14	कनिष्ठ कार्यपालक (प्रचालन)	79	35	07	21	11	05	01	01	-	01
15	कनिष्ठ कार्यपालक (सर्वेक्षण एवं कार्टोग्राफी)	08	05	-	02	01	-	-	-	-	01

रिक्त पदों की संख्या अनंतिम है और भाविप्रा के विवेकानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
प्रयुक्त संक्षिप्तियां: यू आर = अनारक्षित/ईडब्लूएस = आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/ओबीसी (एनसीएल) = अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर)/एससी = अनुसूचित जाति/एसटी = अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी = बेंचमार्क दिव्यांगजन/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी, (ए), (बी), (सी), (डी) व (ई): कृपया विस्तृत विज्ञापन में संबंधित पोस्ट कोड के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणियों का संदर्भ लें।

विवरण	तिथि
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	08.08.2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	07.09.2026
कंप्यूटर आधारित परीक्षा की संभावित तिथि	भाविप्रा की वेबसाइट www.aai.aero पर घोषणा की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया भाविप्रा की वेबसाइट www.aai.aero पर 'करियर्स' (Careers) सेक्शन और 22.08.2026 के 'एम्प्लॉयमेंट न्यूज़'/'रोज़गार समाचार' को देखें।
कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)
cbc03111/11/0005/2627
NIT NO. N-01/2026-27

जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट कॉम्प्लेक्स, निगरी तहसील सराई, जिला सिंगरौली - 486669, (म.प्र.)
सीआईएन: L40101MP1994PLC042920

'विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा जारी दिशानिर्देश सं. 9/8/2024-एसटी.टीएच. दिनांक 30 जनवरी 2026 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपीवीएल) के तापीय विद्युत संयंत्रों से ऐश (राख) के विक्रय हेतु सीमित नीलामी की सूचना'

जेपीवीएल के तापीय विद्युत संयंत्रों, अर्थात जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट, जिला: सिंगरौली (म.प्र.) एवं जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट, जिला: सागर (म.प्र.) से निर्गत होने वाली 'ऐश' (राख) हेतु उन पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) तथा स्थानीय एमएसई/स्थानीय उपयोगकर्ताओं से अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए जाते हैं, जो ऐश-आधारित उत्पादों के निर्माण में संलग्न हैं एवं जिनके पास सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा जारी वैध 'संचालन की सहमति' (सीटीओ) अथवा वैध एमएसई/उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा 'स्थानीय उपयोगकर्ता' (ईओआई सहित) की मान्यता हो।

इच्छुक पक्षों से अनुरोध है कि वे अपनी वार्षिक आवश्यकता (मीट्रिक टन में), फर्म/कंपनी के संपूर्ण विवरण सहित, नीचे दिए गए ईमेल पते पर दिनांक 20.08.2026, 18:00 बजे तक अवश्य प्रेषित करें।

ईमेल आईडी: ajeet.singh@auctionit.in

विस्तृत नियम एवं शर्तें हमारी नीलामकर्ता वेबसाइट www.auctionit.in पर उपलब्ध हैं। इच्छुक पक्षों को नीलामीकर्ता के साथ स्वयं को पंजीकृत करना होगा।

सभी इच्छुक अथवा अर्हताप्राप्त उपयोगकर्ताओं को ई-नीलामी की तिथि की सूचना ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	126214516	संपत्ति के बदले ऋण	22-07-2026	6,34,816.72/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नाम: 1. प्रशांत अग्रहरि 2. प्रतीक अग्रहरि 3. सरला रामचन्द्र

संपत्ति का पता: संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल क्षेत्र 1200 वर्ग। एफटी, पटवारी हल्का नंबर 43 पर स्थित है। नया नंबर. 42, खसरा नं. 600/17, 601/3 KA (10), एनबी नं. 493, मौजा: सावरकर वार्ड, मुड़वारा, आरएनएम: मुड़वारा, तहसील: कटनी, जिला: कटनी, मध्य प्रदेश-483501, और सीमा इस प्रकार है: पूर्व: आशा अग्रहरि की भूमि, पश्चिम: कच्चा रास्ता, उत्तर: विनय जायसवाल और सिंधी की भूमि, दक्षिण:कुशवाहा जी की भूमि

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 11.08.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

Chola
Enter a better life

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032, टी. एन.

ई-नीलामी बिक्री सूचना (केवल ई-बोली के माध्यम से बिक्री)

सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के तहत जारी अचल सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री का नोटिस।

आम जनता और खास तौर पर कॉलम (A) में बताए गए उधार लेने वालों और गारंटी देने वालों को यह सूचना दी जाती है कि कॉलम (C) में बताई गई अचल संपत्ति जिसे सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज किया गया था और जिसका कब्जा कॉलम (D) में बताए अनुसार 'चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड' सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी ने ले लिया है, उसे नीचे दी गई जानकारी के अनुसार "जैसा है, जहाँ है" "जैसा है, वैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। यह सूचना कॉलम (A) में बताए गए उधार लेने वालों/गिरवी रखने वालों/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात हों या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों और असाइनी (संबंधित उधार लेने वालों/गिरवी रखने वालों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके मामले में) को सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 की धारा 9(1) के तहत दी जा रही है। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया 'चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड' (सुरक्षित लेनदार) की वेबसाइट https://www.cholamandalam.com और www.auctionfocus.in पर दिए गए लिंक को देखें।

	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई और एफ)	(जी)
स. क्र.	ऋण खाता संख्या / उधारकर्ता/ऋणकताओं/ बंधक/बंधककताओं/ गारंटर/गारंटरों के नाम	बकाया राशि की वसूली की जानी है (सुरक्षित ऋण)	अचल संपत्ति/प्रतिभूति का विवरण	प्रकार कब्जा	आरक्षित मूल्य (रुपये में) / बयाना राशि (रुपये में)	नीलामी की तिथि और समय
1.	ऋण खाता. नं. : LAP3NHR000132225 1. श्रीमान. /सुश्री शिवम वर्मा 2. श्रीमान. /सुश्री राजकुमारी वर्मा पता : पुत्र भगवान सिंह वर्मा, विवेकानन्द वार्ड, एमपीईबी कॉलोनी गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, श्रीराम भवन के पास, नरसिंहपुर, म.प्र.-487551; इसके अलावा: एनबी 119, PH99 /18/1, केएच। क्र.137/ 72, राजीव वार्ड, गाडरवारा, गाडरवारा, नरसिंहपुर, म.प्र.-487551	रु. 20,30,358/- (बीस लाख तीस हजार तीन सौ अठावन मात्र) 10.03.2026 तक	साइट के अनुसार पताः ख.नं.137/72/NB:119 का हिस्सा, PH:99/ 18/1, राजीव वार्ड गडरवारा, नरसिंहपुर-487 551 म.प्र.; दस्तावेज -30 के अनुसार पताः मौजा राजीव वार्ड, गडरवारा, रोड, 119, नरसिंहपुर, म.प्र.; लैंडमार्कः श्रीराम भवन के पास, MPEB कॉलोनी; निकटतम चोला शाखा-नरसिंहपुर, निकटतम चोला शाखा से दूरी-50; सीमाएं/ दिशाएं-प्लान/डीड/लेआउट के अनुसार - पूर्वः सीमेंट रोड; पश्चिमः विनीता पटेल का प्लॉट; दक्षिणः ढिमोले का प्लॉट; उत्तरः कौरव का प्लॉट। वास्तविक साइट के अनुसार - पूर्वः रोड; पश्चिमः खाली प्लॉट; दक्षिणः ओमप्रकाश ढिमोले की प्रॉपर्टी; उत्तरः राजपूत का प्लॉट।	सांकेतिक कब्जा	रू. 34,92,000/- (चौंतीस लाख बानवे हजार मात्र) रू. 3,49,200/- (तीन लाख उनचास हजार दो सौ मात्र)	04.09.2026 दोपहर 02:00 बजे से दोपहर 04:00 बजे तक (टेंडर डॉक्यूमेंट के अनुसार हर बार 5 मिनट के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन के साथ)
	निरीक्षण की तिथि एवं समयः - 02.09.2026, सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच।				न्यूनतम बोली वृद्धि राशिः 10,000 रुपये/-	
	बिड / EMD / भाग लेने के लिए अनुरोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 03.09.2026 को शाम 5.00 बजे तक है।					

ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार लागू होने वाले अतिरिक्त ब्याज, तथा भुगतान और/या उक्त राशि की वसूली की तारीख तक हुए आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सहित। संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, अथवा बोली दस्तावेज प्राप्त करने तथा किसी अन्य जानकारी/पूछताछ के लिए, कृपया अंकुश विश्वकर्मा, मो.नं. 9752712456, ई-मेलः ankushv@chola.murugappa.com, विनय सांखरे, मो.नं. 9737317135, ई-मेलः vinaysb@chola.murugappa.com से संपर्क करें। उक्त दोनों चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारी हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भार, बंधक, दावा या अन्य दायित्व विद्यमान नहीं है।

दिनांकः 10.08.2026
स्थानः नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश
प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking

क्षेत्रीय कार्यालय - रसल चौक, नेपियर टाउन, जबलपुर - 482001
ई-मेल: crld.jabalpur@unionbankofindia.bank.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विषेष रूप से उधार लेने वाले और प्रतिभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता हैं की नीचे वर्णित अचल संपत्तियों जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की संबंधित शाखा के पास प्रभारित है उक्त संपत्तियों को "जहां है जैसा है" और "जो कुंछ भी है" के आधार पर दिनांक 27.08.2026, दोपहर 12:00 बजे से शाम 05:00 बजे के मध्य प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित संबंधित ऋणियों एवं प्रतिभूति दाताओं से निम्नलिखित बाकाया धन राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि तथा अन्य विस्तृत की जानकारी निम्नानुसार है।

क्र.	ऋणी/जमानतदार एवं शाखा का नाम	संपत्ति का विवरण	बकाया राशि (रू.)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि	सम्पर्क व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नं.
1.	उधारकर्ता: 1. एम/एस केजीएन साइकिल मालिक श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री अब्दुल मजीद निवासी देव मुरलीधर वार्ड, गोटेगांव, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, म.प्र. शाखा- गोटेगांव	बिक्री हेतु अचल गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण मौजा छोटा छिंदवाड़ा, देव मुरलीधर वार्ड, पीएच नंबर 45/16 एनबी नंबर 175, डायवर्जन खसरा 283/49, क्षेत्रफल 510 वर्ग फुट, आरएनएम एवं तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में स्थित आवासीय भूमि एवं भवन का पूरा टुकड़ा।	Rs. 16,49,334.00 with further Interest, cost & expenses	Rs. 16,50,000/- Rs. 1,65,000/-	Sandeep Patel 877 022 0772
2.	उधारकर्ता - श्री सुमित वर्मा शाखा- अधारताल	यह प्रॉपर्टी एन. बी. नंबर 603, पटवारी हल्का नंबर 23/27, आर एन एम -Jbp-1, सुखसागर ब्लू मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, टॉवर नंबर 09, फ्लैट नंबर C-2, तीसरी मंज़िल, ग्वारीघाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482003 पर स्थित है।	Rs.1509116.17 with further Interest, cost & expenses	Rs. 1840000/- Rs. 184000/-	Ravi Singh 9977778898

विक्रय से संबंधित और शर्तों के ब्यौरे के लिए वेबसाईट https://baanknet.com and https://www.unionbankofindia.co.in/auction-property/view-auction-property.aspx
स्थान: जबलपुर दिनांक: 11.08.2026
प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया